राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11683/2017

अभिलाष पुत्र नरेंद्र सिंह, निवासी 157, राजेंद्र नगर पाली, जिला पाली, राजस्थान

----अपीलार्थी

बनाम

1. द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुख्य शाखा, टाउन हॉल बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, सूरज पोल पाली, इसके वरिष्ठ शाखा प्रबंधक दीनदयाल बंशीलाल के माध्यम से। बीमा कंपनी।
2. नौशाद खा पुत्र रसीद खां, निवासी सिप्पयियों का बाड़ा बास, जैतारण, जिला पाली, राजस्थान। वाहन के मालिक।
3. युसुफ बेग पुत्र मेहबूब खान, निवासी सिप्पयियों का बाड़ा बास, जैतारण, जिला पाली, राजस्थान। वाहन का ड्राइवर।
4. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पाली, जिला पाली, राजस्थान

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री योगेश शर्मा
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री जगदीश व्यास प्रतिवादी क्रमांक 1 के लिए

माननीय सुश्री. जस्टिस रेखा बोराना

आदेश

18/09/2024

1. वर्तमान रिट याचिका सिविल विविध प्रकरण संख्या 01/2017 में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पाली द्वारा पारित दिनांक 13.07.2017 (अनुलग्नक 6) के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत प्रतिवादी-बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत समीक्षा आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था। उक्त आदेश दिनांक 13.07.2017 के तहत विद्वान अधिकरण ने दावेदारों के पक्ष में पारित दिनांक 28.01.2017 के निर्णय और पंचाट को अपास्त कर दिया और मामले की पुनः सुनवाई और निर्णय करने का निर्देश दिया।

2. तथ्य यह है कि 22.06.2012 की कथित दुर्घटना के लिए दावेदारों द्वारा प्रस्तुत दावा याचिका संख्या 225/2015 में, विद्वान न्यायाधिकरण ने 28.01.2017 को 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ दावेदारों के पक्ष में 20,65,900/- रुपये की राशि के लिए निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय के अनुसार, चालक, मालिक और बीमा कंपनी को दावेदारों को मुआवजा देने के लिए अलग-अलग और संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया गया।

3. हालांकि, दिनांक 28.01.2017 को उक्त निर्णय पारित होने के दो महीने बाद, बीमा कंपनी की ओर से धारा 114, सीपीसी के साथ आदेश 47 नियम 1 के तहत एक समीक्षा आवेदन पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि दावेदारों द्वारा जिस बीमा पॉलिसी पर भरोसा किया गया था और जिसके आधार पर उनके पक्ष में निर्णय पारित किया गया था, वह एक जाली दस्तावेज था और विद्वान न्यायाधिकरण पर धोखाधड़ी करके निर्णय प्राप्त किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि उक्त बीमा पॉलिसी वास्तव में श्रवण कुमार के पक्ष में जारी की गई पॉलिसी की संख्या पर जाली थी। वास्तविक पॉलिसी को उक्त समीक्षा आवेदन के साथ रिकॉर्ड पर रखा गया था।

4. विद्वान न्यायाधिकरण ने पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद पाया कि प्रथम दृष्टया यह रिकॉर्ड पर साबित हुआ था कि प्रश्नगत पॉलिसी जाली थी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और अन्य बनाम राजेंद्र सिंह एवं अन्य; एआईआर 2000 एससी 1165 और एवी पपय्या शास्त्री एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य; एआईआर 2007 एससी 1546 के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर भरोसा करते हुए विद्वान न्यायाधिकरण ने पुनर्विचार याचिका की स्थिरता के संबंध में दावेदारों द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया और पाया कि धोखाधड़ी के मामलों में न्यायाधिकरण अवार्ड को रद्द करने के अपने अधिकार क्षेत्र में है। परिणामस्वरूप, 13.07.2017 के आदेश के तहत, इसने 28.01.2017 के अवार्ड को रद्द करने के लिए कार्यवाही की और मामले को नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया।

5. दिनांक 13.07.2017 के आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि किसी न्यायाधिकरण के पास अपने आदेश की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है और इसलिए, आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण, रद्द करने और अपास्त करने योग्य है।

अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने श्रीमती इमिया बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य, (2009) 1 डीएनजे 52 और हनुमान सहाय बनाम न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (सांप्रदायिक दंगे)/एमएसीटी, जयपुर; (2012) डब्ल्यूएलसी 145 के मामलों में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णयों पर भरोसा किया.

7. इसके विपरीत, प्रतिवादी-बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने, आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए, प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय/न्यायाधिकरण के साथ धोखाधड़ी का स्पष्ट मामला था, और इसलिए, विद्वान न्यायाधिकरण ने उचित रूप से प्रश्नगत अवार्ड को रद्द कर दिया।

8. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

9. इस न्यायालय के समक्ष दो मुद्दे उठते हैं:

सबसे पहले, क्या मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा कर सकता है?

दूसरा, क्या ऐसे मामलों में जहां यह साबित हो चुका है कि न्यायालय/न्यायाधिकरण के साथ धोखाधड़ी करके डिक्री/अधिनिर्णय प्राप्त किया गया है, न्यायालय/न्यायाधिकरण अपने आदेश की समीक्षा कर सकता है, भले ही उसे ऐसा करने का अधिकार देने वाला कोई विशिष्ट कानूनी प्रावधान न हो?

10. जहां तक पहले मुद्दे का सवाल है, इसका उत्तर श्रीमती इमिया (सुप्रा) के मामले में स्पष्ट रूप से दिया गया है। जिसमें न्यायालय ने निम्नानुसार माना:

> "11. मोटर वाहन अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण, दावा आवेदन पर विचार करते समय, यहां तक कि सिविल न्यायालय के ढांचे के भीतर भी, इसका अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से वैधानिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा परिभाषित किया गया है। जहां तक दावा न्यायाधिकरण में निहित सिविल न्यायालय की शक्तियों और दावा न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का संबंध है, ऐसे पहलुओं को अधिनियम की धारा 169 और राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 10.27 और नियम 10.28 में विशेष रूप से चित्रित किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि समीक्षा की शक्तियों से संबंधित धारा 114 सीपीसी या आदेश

> XLVII नियम 1 सीपीसी के प्रावधान, इस प्रकार दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं किए गए हैं। इस न्यायालय की राय में, न्यायाधिकरण के पास ऐसे दावों पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। आदेश XLVII सीपीसी के तहत समीक्षा आवेदन पेश किया गया है और तथाकथित समीक्षा आवेदन पर पारित आक्षेपित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

इसलिए, पहले मुद्दे का उत्तर इस तरह दिया गया है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पास आम तौर पर आदेश 47, सीपीसी के तहत समीक्षा आवेदन से निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

11. लेकिन फिर, कानून का उपरोक्त स्थापित प्रस्ताव भी कुछ अपवादों के अधीन है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम राजेंद्र सिंह एवं अन्य; एआईआर 2000 सुप्रीम कोर्ट 1165 के मामले में माना है कि धोखाधड़ी और न्याय कभी एक साथ नहीं रहते। कोई भी न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने आदेश को वापस लेने में शक्तिहीन नहीं माना जा सकता है यदि उसे विश्वास हो कि आदेश धोखाधड़ी या गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था जो दावे के मूल आधार को प्रभावित करेगा। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह की परिस्थिति से निपटते हुए निम्नांकित टिप्पणी की:

> 16. यह अपेक्षा करना अवास्तविक है कि अपीलकर्ता कंपनी धोखाधड़ी के आधार पर प्रथम दृष्टया दावे का विरोध करेगी, क्योंकि उस समय अपीलकर्ता कंपनी को दावेदारों द्वारा कथित रूप से की गई धोखाधड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यदि बीमा कंपनी को पता चलता है कि मुआवजे के लिए दावा प्राप्त करने के लिए कोई संदिग्ध साजिश रची गई है, और यदि उस समय तक अवार्ड पारित हो चुका है, तो कंपनी के लिए अवार्ड के खिलाफ वैधानिक अपील दायर करना संभव नहीं होगा। न केवल अपील दायर करने की समय सीमा के कारण, बल्कि अपील पर विचार, भले ही देरी को माफ किया जा सके, तब तक की गई दलीलों से तैयार किए गए मुद्दों तक ही सीमित होगा।
> 17. इसलिए, हमें कोई संदेह नहीं है कि इस आधार पर आदेश को वापस लेने के लिए आगे बढ़ने का उपाय ऐसी स्थिति में उच्च स्तर की धोखाधड़ी के लिए नए खोजे गए तथ्यों को बंद नहीं किया जा सकता। कोई भी न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने आदेश को वापस

लेने में असमर्थ नहीं माना जा सकता है यदि उसे यह विश्वास हो कि आदेश को धोखाधड़ी या गलत तरीके से प्रस्तुत करके इस तरह से बदला गया है जिससे दावे का आधार ही प्रभावित होगा।"

12. यह विचार कि धोखाधड़ी करके या खेलकर सफल पक्ष द्वारा प्राप्त किया गया आदेश दोषपूर्ण है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.वी. पपैया शास्त्री के मामले (सुप्रा) में बहुत मजबूत शब्दों में दोहराया गया है। इसमें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि धोखाधड़ी करके या खेलकर प्राप्त किया गया आदेश कानूनी, वैध या कानून के अनुरूप नहीं माना जा सकता है। यह अस्तित्वहीन है, अवास्तविक है और इसे कायम रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने आगे कहा कि यह कानून का एक मौलिक सिद्धांत है और इसलिए, यह माना जाता है कि धोखाधड़ी से प्राप्त निर्णय, डिक्री या आदेश को अमान्य माना जाना चाहिए, चाहे वह प्रथम दृष्टया न्यायालय द्वारा हो या अंतिम न्यायालय द्वारा।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त अनुपात के मद्देनजर और कानून की स्थापित स्थिति के मद्देनजर कि डिक्री/अवार्ड को किसी भी स्तर पर, यहां तक कि संपार्श्विक कार्यवाही में भी, यदि धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया पाया जाता है, तो रद्द किया जा सकता है, आक्षेपित आदेश किसी भी हस्तक्षेप के लायक नहीं है।

14. इसके अलावा, यह न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकता है कि समीक्षा आवेदन के जवाब में, दावेदारों का यह मामला भी नहीं था कि विचाराधीन पॉलिसी वैध थी। दावेदारों और विचाराधीन वाहन के मालिक द्वारा उठाया गया एकमात्र आधार यह था कि समीक्षा आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था और न्यायाधिकरण अपने स्वयं के आदेश को वापस लेने के लिए सक्षम नहीं था।

15. यह भी ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान रिट याचिका में कोई अंतरिम आदेश लागू नहीं था और दिनांक 13.07.2017 को आक्षेपित आदेश पारित होने के बाद, विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही फिर से शुरू हुई और दावेदारों ने अपना साक्ष्य भी पेश किया है। इसका अर्थ यह है कि दावेदारों ने पहले ही खुद को विद्वान न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत कर दिया है। इसलिए, इस स्तर पर भी किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

16. उपरोक्त विश्लेषण और टिप्पणियों के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

17. स्थगन याचिका और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

18. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की वैधता और विधिमान्यता तय करने के उद्देश्य से की गई हैं। इसे मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति नहीं समझा जाना चाहिए। इसलिए, विद्वान न्यायाधिकरण इस निर्णय में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से बाधित हुए बिना मामले को अपने गुण-दोष के आधार पर तय करने के लिए बाध्य होगा।

(रेखा बोराणा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।